न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 118/2022 बउनवानी शिवदयाल बसवाल बनाम लो.सू.अधि.एवं सचिव नगर विकास न्यास स.मा. पुत्र श्री कौरी लाल खटीक, निवासी–75डी भोपाल नगर(आर्दश नगर बी) सवाईमाधोपुर

GCMS No-2022/121

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिस्यिल जज
4.11.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 27.7.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. प्रार्थी द्वारा अपने मकान प्लाट का पटटा चाहने बाबत आवेदन करने पर नगर विकास न्यास,स0मा0 द्वारा प्रार्थी को अवगत कराया गया कि नगर विकास न्यास,स0मा0 के पत्रांक नविन्या/प्र.श.के सं. अभि./2021/641 दिनांक 21.10.2021 के द्वारा पटटे नगर परिषद द्वारा जारी करने के लिए लिखा उस पत्रांक की फोटो प्रति उपलब्ध करावे। 2. प्रार्थी को श्रीमान जी द्वारा जारी पत्रांक/नविन्या/प्र.श.के संग.अभि./2021/647 दिनांक 21.1.0.21 को आदेश की प्रति मय नोट सीट एवं भोपाल नगर आदेश नगर बी के आबादी के पटटे संबंधित समस्त आदेश एवं कार्यवाही की नोटशीट सहित फोटो कापी उपलब्ध कराने । 3. तहसील सवाईमाधोपुर के पटवार हल्का ठींगला के हाल ख0न0 366 एवं पुराने ख0न0 566 मे आबादी किये गये पटटो की फोटो कापी उपलब्ध करावे । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस कमांक प.()नविन्या/सू.का.अ./2022/1160 दिनांक 6.10.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना सचिव नगर विकास न्यास, सवाईमाधोपुर के पत्रांक प. नविन्या/समा/2022/977 दिनांक 24.8.2022 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 27.7.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 3 मे चाही गयी सूचना, सचिव, नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 977 दिनांक 24.8.2022 से उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इस प्रकार चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.03.17 17:39:11 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर